समाचार-प्रकाषनार्थ:-

लोक अदालत में बकायादारों ने संपत्तिकर व जलकर की
बकाया राशि जमा कराकर अधिभार राशि में छूट का लाभ लिया
बकाया के रूप में 10 लाख 67 हजार की राशि जमा कराई

रतलाम 12 दिसम्बर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व राज्य शासन के निर्देशानुसार संपत्तिकर व जलकर के बकायादारों को अधिभार (सरचार्ज) में छूट देने हेतु 12 दिसम्बर शनिवार को एक दिवसीय नेशनल लोक अदालत में नागरिकों ने संपत्तिकर एवं जलकर की बकाया राशि जमा कराकर दी जा रही अधिभार (सरचार्ज) राशि में छूट का लाभ लिया।

आज नेशनल लोक अदालत के तहत जिला न्यायालयए अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल व नगर निगम कार्यालय में आयोजित शिविर में बकायादारों ने संपत्तिकर के 7 लाख 23 हजार रूपये तथा जलप्रदाय के 3 लाख 44 हजार 6 सौ 60 रूपये कुल राशि 10 लाख 67 हजार 6 सौ 60 रूपये जमा कराकर अधिभार (सरचार्ज) की राशि में छूट का लाभ लिया।

आसपास की सफाई से ही है हम सबकी भलाई
स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 के तहत शहर के सैकड़ों कचरा मुक्त स्थलों पर
रांगोली के माध्यम से स्वच्छता का दिया जा रहा है संदेश

रतलाम 12 दिसम्बर । शहर को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए कचराघरों से मुक्त करने की मुहिम निरन्तर चलाई जा रही है। इसी के साथ कचरा मुक्त स्थलों पर सफाई मित्र समूह के माध्यम से आकर्षक रांगोली का निर्माण किया जाकर क्षेत्रीय नागरिकों के माध्यम से दीप दान कराया जा रहा है ताकि आसपास के लोग वहां दोबारा कचरा नही फेक सके।

शहर के कचरा मुक्त स्थानों पर रांगोली निर्माण से लोगों के बीच सकारात्मक भाव जाग रहा है और वे स्वयं आसपास के लोगों विशेषकर इधर उधर कचरा फेकने वालों को संदेश दे रहे है कि आसपास की सफाई में ही हम सबकी भलाई है। स्वच्छ वातावरण से जहां एक और पर्यावरण सुधार होगा वही हमे तमाम बीमारियों से भी निजात मिलेगी।

रतलाम को प्रदेश और देश में अलग पहचान दिलाने के लिए नगर पालिक निगम ने स्वच्छ रतलाम- सुंदर रतलाम अभियान की शहर में शुरुवात करते हुए सैकड़ों स्थानों को कचरे से मुक्त किया है। इन कचरा स्थलों पर हर दिन सफाई मित्र समूह के सदस्य आकर्षक रांगोली का निर्माण कर तमाम लोगों को स्वच्छता का संदेश दे रहे है। इस मौके पर रहवासियों और राहगियों को संकल्प दिलाया जा रहा है कि मेरा योगदानए मेरी शानए स्वच्छ शहर मेरी पहचान है।

रतलाम शहर के सैकड़ों स्थानों पर खुले में कचरा डालने वालों को रोकने के लिए नगर निगम की और से अनोखा प्रयोग किया और सैकड़ों स्थान कचरा मुक्त हुए और इन पर रांगोली के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन सार्वजनिक स्थानों**ए** बागीचों**ए** खेल मैदानों आदि स्थानों पर भी स्वच्छता का संदेश दिया जाकर स्वच्छता की दौड़ में रतलाम को नम्बर-**1** बनाने का आव्हान लोगों से किया जा रहा है।
नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देश व स्वास्थ्य अधिकारी एपी सिंह ने शहरवासियों से अपील की है कि वे अपने कूड़ा केवल डोर टू डोर कूड़ा ढोने वाले वाहनों में ही डाले। खुले में कचरा डालने वालों पर नगर निगम द्वारा जुर्माने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
नगर निगम आयुक्त सोमनाथ के निर्देशानुसार अब शहर के सार्वजनिक स्थलों पर लोगों से शहर को साफ और सुंदर बनाए रखने की अपील की जा रही है। इस दौरान शनिवार को सफाई मित्र समूह की टीम ने काजीपुरा सहित आधा दर्जन स्थानों पर स्थित कचरा मुक्त स्थानों के साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर पर रांगोली बना कर इन क्षेत्रों के रहवासियों को स्वच्छता की शपथ दिला कर दीप दान किया गया है। इस दौरान कोविड-**19** महामारी के बढ़ते प्रकोप के देखते हुए लोगों से आव्हान किया गया कि जब तक कोरोना का कारगर उपचार उपलब्ध नही हो पाता है. ऐसे में हमे मास्क का उपयोग**ए** दो गज की दूरी और हाथों को सेनेटाईज कर अपने जीवन को बचाना चाहिए।

त्रिपोलिया गेट से हरदेव लाला की पीपली तक अस्थाई अतिक्रमण हटाया
गंदगी फैलाने वालों पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी
फुटेज के आधार पर **2** व्यक्तियों पर किया जुर्माना
मलबा फैलाने**ए** अतिक्रमण करने पर **17** व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम **12** दिसम्बर । त्रिपोलिया गेट से हरदेव लाला की पीपली तक सड़क के दोनो ओर सब्जी-फल विक्रेताओ तथा अन्य फुटकर व्यापारियों द्वारा सड़क पर किये गये अतिक्रमण को निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशन में हटाया जाकर अतिक्रमण सामग्री जब्त की गई साथ ही संबंधितों पर जुर्माना भी किया गया।
निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने प्रातः त्रिपोलिया गेट से हरदेव लाला की पीपली तक के क्षेत्र का अवलोकन कर विगत दिनों बिल्डिंग लाईन से नागरिक**ए** दुकानदार व अन्य फुटकर व्यापारियों हेतु छोड़े गये स्थल के बाहर किये किये गये अतिक्रमण को हटवाकर अतिक्रमण सामग्री जब्त कर जुर्माना किया गया।
नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरो से निकलने वाले कचरे को कचरा संग्रहण वाहन में नहीं डालते हुए यहां-वहां डालकर नगर को गंदा करते है ऐसे दुकानदार एवं नागरिकों को लगाम लगाने हेतु निगम द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है

साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गंदगी फैलाने वाले नागरिक एवं दुकानदारों पर घर व दुकानों पर जाकर गठित दल द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत प्रिन्स फुटवियर सूरजपोर पर 500 व डालूमोदी बाजार के गोपालसिंह पर 250 रूपये का जुर्माना किया गया।

नगर के ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर नगर को गंदा कर रहे है ऐसे व्यक्तियों पर लगाम लगाने हेतु नगर के विभिन्न स्थानों पर स्थापित सीसीटीवी कैमरों से सत्त निगरानी रखी जा रही है इस हेतु पुलिस कन्ट्रोल रूम पर 3 पालियों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर डालू मोदी बाजार के राजेन्द्र राठौर पर 500 रूपये का जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गंदगी व मलबा फैलानेए अतिक्रमण करने तथा नो पार्किंग में वाहन खड़े करने पर अनवर हुसैन त्रिपोलिया गेट पर 5000ए सुभाष राठौड़ व भेरूलाल सुयोग परिसर पर 3000.3000ए सचिन-रमेशचन्द चांदनी चौक पर 2000ए दिलीप माली त्रिपोलिया गेटए अफाक अली थावरिया बाजार पर 1000.1000ए जे.के. कोठारीए एन.एक्स. टेक्सटाईलए मगनलालए विशाल मशीनरीए अब्बास चांदनी चौकए सकलेचा नमकीन थावरिया बाजारए जमील मोचीपुरा पर 500.500ए नो पार्किंग में वाहन खड़े करने पर सरफराज खान चांदनी चौकए पंकज चांदनी चौक पर 500.500 रूपये का जुर्माना किया गया।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंहए झोन प्रभारी श्री किरण चौहान व श्री पर्वत हाड़े आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलानेए अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरूद्ध जुर्माना किये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

कचरा संग्रहण वाहन के 6 ड्रायवरों को कारण बताओ सूचना पत्र

एक दिवस का वेतन काटा

रतलाम 12 दिसम्बर । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार कचरा संग्रहण वाहन के 6 ड्रायवर जो कि 12 दिसम्बर को बिना सूचना के कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित थे उनका एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया।

कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर निलेश परमारए शुभम् पैमालए सुन्दर परमारए जितेन्द्र सिन्दलए शुभम् चनाल व हिम्मत कंडारे द्वारा 12 दिसम्बर शनिवार को अपने कर्तव्य स्थल से बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया।

कचरा मुक्त स्थल पर गंदगी पाये जाने पर वार्ड दरोगा सहित 4 कर्मचारियों को सूचना-पत्र

एक दिवस का वेतन काटा

रतलाम 12 दिसम्बर। निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान वार्ड क्रमांक 24 में नाहर पब्लिक स्कूल करमदी रोड के पास मुक्त किये गये कचरा स्थल पर कचरा पाये जाने पर वार्ड दरोगा सहित 4 सफाई संरक्षकों का एक दिवस का वेतन काटा जाकर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया।

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा निरीक्षण के दौरान वार्ड क्रमांक 24 में नाहर पब्लिक स्कूल करमदी रोड के पास मुक्त किये गये कचरा स्थल पर कचरा पाये जाने पर वार्ड दरोगा मोहनलाल राठौड व सफाई संरक्षक कचरू-मगनलालए राहूल-कैलाशए अजय-शिवलाल व अर्जून-राकेश का एक दिवस का वेतन काटा जाकर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया।

कचरा मुक्त स्थल पर कचरा ना डले यह जिम्मेदारी वार्ड दरोगा की है व स्थल पर नियुक्त कर्मचारी निगरानी हेतु ड्यूटी लगाई गई है इसके पश्चात भी कचरा पाये जाने पर उक्त कर्मचारियों का एक दिवस का वेतन काटा जाकर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया।

2 नालो की सफाई का कार्य प्रारंभ

रतलाम 12 दिसम्बर। कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा नगर के नालों की सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है।

नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा 12 दिसम्बर शनिवार को लक्ष्मण पुरा व ओझाखाली वाले नाले की सफाई का कार्य जेसीबी मशीनए डम्परए व गैंग द्वारा प्रारंभ करवाया गया।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदरों को रखना होंगे 4 डस्टबीन

खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी

अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 12 दिसम्बर । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे है व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्रीए फल-सब्जी के छिलकेए घांस व पेड़ की पत्तियांए राखए चाय पत्तीए बचा हुआ खाना आदि के लिये हरा डस्टबीनए सूखा कचरा अर्थात पुस्टाए अखबारए लोहाए कपड़ाए शालए कांचए पैकिंग मटेरियलए टुटे खिलौनेए प्लास्टिक आदि के लिये नीला डस्टबीनए घरेलू हानिकार कचरे के लिये पेन्ट के डिब्बेए पेस्टीसाइड के डिब्बेए सीएफएलए ट्यूबलाईटए थर्मामीटरए बैटरी आदि के लिये काला डस्टबीन तथा मेडिकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीनए डायपरए सुईए सिंरिजए मास्कए ग्लब्सए पीपीई कीट आदि के लिये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिशठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा

संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबंधित के घर एवं दुकानों पर जाकर **5000.5000** हजार का जुर्माना करेगी।

सोमवार को महावीर नगर में लगेगा निगम का बकाया वसूली शिविर
बकाया राशि जमा कर अधिभार (पेनल्टी) में छूट प्राप्त करें
नागरिकों ने **37ए05ए253६.** संपत्तिकर व **10ए13ए125६.** जलकर जमा कराया
संपत्तिकर व जलकर की बकाया राशि जमा कराने में नागरिक दिखा रहे हैं उत्साह

रतलाम 12 दिसम्बर । षासन निर्देषानुसार नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-**19द्ध** वैष्विक महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण प्रायः रोजगार में कमी**ए** उद्योग-धन्धे में गिरावट**ए** सर्विस सेक्टर आदि में षिथिलता परिलक्षित होने के फलस्वरूप निगम से संबंधित करों**ए** उपभोक्ता प्रभार आदि की बकाया राषि एक मुष्त जमा कराने पर अधिभार (पेनल्टी) में **31** दिसम्बर **2020** तक छूट दी जा रही है। इस हेतु नगर निगम द्वारा नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों की बकाया राषि जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली षिविर **26** अक्टूबर से आयोजित किये गये है जो **30** दिसम्बर तक चलेंगे।
आयोजित षिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकर**ए** जलकर**ए** दुकान**ए** गुमटी किराया**ए** लायसेंस षुल्क एवं विकास षाखा से संबंधित भवन की किष्त तथा भू-भाटक की बकाया राषि एक मुष्त राषि जमा कर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ ले सकते है।
निगम द्वारा आयोजित षिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर षिविर में संपत्तिकर **2ए38ए224६.** व जलकर **43ए460६.ए** मालवा नगर षिविर में संपत्तिकर **3ए66ए429६.** व जलकर **43ए830६.ए** जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास षिविर में संपत्तिकर **2ए69ए336६.** व जलकर **41ए850६.ए** विनोबा नगर पानी की टंकी के पास षिविर में संपत्तिकर **3ए94ए652६.** व जलकर **1ए06ए050६.ए** अलकापुरी कम्युनिटी हॉल के पास षिविर में संपत्तिकर **4ए54ए616६.** व जलकर **84ए000६.ए** तिरूपति नगर में षिविर में संपत्तिकर **55ए700६.** व जलकर **14ए800६.ए** कोमल नगर षिविर में संपत्तिकर **65ए133६.** व जलकर **18ए430६.ए** इन्द्रलोक नगर षिविर में संपत्तिकर **1ए04ए310६.** व जलकर **37ए520६.ए** कस्तुरबा नगर षिविर में संपत्तिकर **1ए63ए070६.** व जलकर **41ए200६.ए** प्रियदर्षनी नगर षिविर में संपत्तिकर **54ए244६.**

व जलकर 31ए700६.ए डोंगरे नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए87ए800६. व जलकर 13ए500६.ए हाट रोड माताजी मंदिर के पास षिविर में संपत्तिकर 89ए439६. व जलकर 29ए500६.ए डॉ0 मेहरा नर्सिंग होम काटजू नगर षिविर में संपत्तिकर 2ए23ए843६. व जलकर 80ए000६.ए वेदव्यास कालोनी षिविर में संपत्तिकर 78ए232६. व जलकर 24ए800६.ए दीनदयाल नगर षिविर में संपत्तिकर 95ए424६. व जलकर 46ए350६.ए बोहरा बाखल षिविर में संपत्तिकर 2ए61ए000६. व जलकर 45ए500६.ए लक्कड़पीठा षिविर में संपत्तिकर 2ए58ए000६. व जलकर 90ए310६.ए धानमण्डी षिविर में संपत्तिकर 2ए39ए000६. व जलकर 1ए58ए845६.ए आनन्द कालोनी षिविर में संपत्तिकर 94ए633६. व जलकर 24ए500६.ए प्रताप नगर षिविर में संपत्तिकर 1ए31ए093६. व जलकर 68ए580६. की एक मुष्त बकाया राषि जमा कराकर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ लिया। इस तरह नागरिकांेंं ने अब तक आयोजित षिविरों मेंेंं 37ए81ए253६. संपत्तिकर व 10ए37ए725६. जलकर की राषि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली षिविरो के तहत वार्ड क्रमांक 13 के लिये 14 दिसम्बर को महावीर नगरए वार्ड क्रमांक 39ए 40 व 41 के लिये 15 से 16 दिसम्बर तक पैलेस रोड चौराहाए वार्ड क्रमांक 25ए 26 व 27 के लिये 17 दिसम्बर को चौगारिया भेरूए वार्ड क्रमांक 24ए 25 व 42 के लिये 18 दिसम्बर को षिक्षा विभाग सायर चबुतराए वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 21 से 22 दिसम्बर को चौमुखी पुल प्याऊ के पासए वार्ड क्रमांक 33ए 34 व 35 के लिये 23 से 24 दिसम्बर को षास्त्री नगर सेन्ट्रल बैंक के पासए वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 26 व 28 दिसम्बर को दो बत्ती चौराहा व वार्ड क्रमांक 30ए 31ए 32 व 34 के लिये 29 से 30 दिसम्बर को स्टेषन रोड दिल बहार चौराहा पर कार्यालयीन समय में षिविर आयोजित किये गये है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि षासन द्वारा निगम से संबंधित करों की एक मुष्त राषि जमा कराने पर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ नागरिक अधिक से अधिक ले सकें इस हेतु वार्ड वार षिविर कार्यालयीन समय में लगाये जा रहे हैं। नागरिक अपने वार्ड में लगाये जा रहे षिविर में उपस्थित होकर बकाया करो की एक मुष्त राषि जमा कर दी जा रही अधिभार में छूट का लाभ सकते है।

कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व कलेक्टर एवं प्रषासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि संपत्तिकर तथा अधिभार की राषि रूपये 50ए000६. ;रूपये पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूटए संपत्तिकर तथा अधिभार की राषि रूपये 50ए000६. ;रूपये पचास हजार) से अधिक तथा रूपये 1ए00ए000६. ;रूपये एक लाख) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिषत की छूट व संपत्तिकर तथा अधिभार की राषि रूपये 1ए00ए000६. ;रूपये एक लाख) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिषत की छूट दी जा रही है।

इसके अलावा जलकर अधिभार की राषि रूपये 10ए000६. ;रूपये दस हजार) तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूटए जलकर तथा अधिभार की राषि रूपये 10ए000६. ;दस हजार) से अधिक तथा रूपये 50ए000६. ;पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिषत की छूटए जलकर तथा अधिभार की राषि रूपये 50ए000६. ;पचास हजार) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिषत की छूट दी जा रही है।

इसी तरह नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/किराये की अधिभार सहित कुल देय राषि रूपये 20ए000६. ;बीस हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिषत की छूटए अधिभार सहित कुल देय राषि रूपये 20ए000६. ;बीस हजार) से 50ए000६. ;पचास हजार) तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिषत की छूट तथा अधिभार सहित कुल देय राषि रूपये 50ए000६. ;पचास हजार) से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिषत की छूट दी जा रही है। उक्त छूट मात्र अधिभार पर लागू होगी तथा ब्याजए स्टॉप ड्यूटीए मूल करए मूल उपभोक्ता प्रभार अथवा मूल भूभाटक/किराये पर लागू नहीं होगी।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से अपील की जाती है कि संपत्तिकरए जलकर व नगरीय निकायों द्वारा चयन की गई परिसंपत्तियों के भूभाटक/किराये की बकाया राषि वार्डवार आयोजित बकाया षिविर व कार्यालय में जमा कर उक्तानुसार छूट प्राप्त करें।

नवीन हाईड्रोलिक केटल कैचर से पकड़े 6 मवेषी

स्वच्छंद विचरण करने वाले 386 मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रतलाम 12 दिसम्बर । रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानोए सड़कोए चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा जा रहा है जिसके तहत 12 अक्टूबर से 12 दिसम्बर तक 386 मवेशियों को पकड़कर जिले की गौशालाओं में भेजा गया।

नगर निगम द्वारा नवीन हाईड्रोलिक केटल कैचर क्रय किया गया हैए नवीन हाईड्रोलिक कैटल कैचर से मवेशियों को पकड़ने में सुविधा होने के साथ समय भी कम लगता है व मवेशी भी आसानी से वाहन में चढ़ जाते है तथा उन्हे किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं होता है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 12 अक्टूबर से अभियान चलाया गया तथा 12 दिसम्बर तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 386 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 12 दिसम्बर शनिवार को नगर विभिन्न क्षेत्रों से 6 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानोंए सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में

मवेशियों का पालन करना नियम विपरित है**ए** ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वंय अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा **358** के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोडेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पंहूचता है तो पालक पर **500** रूपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रूपये **500६.** वसूल करेगा

स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए**0**पी**0** सिंह**ए** झोन प्रभारी श्री किरण चौहान**ए** श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा की गई।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/**12ण12ण2020**ध्न.पा.निगम**ए** रतलाम.